भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 26

03.02.2025 को उत्तर के लिए

समुद्र तटीय कटाव

26. डॉ. हेमंत विष्णु सवरा :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने उन समुद्र तटीय क्षेत्रों की पहचान की है जो गंभीर कटाव की समस्या का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तटरेखावार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) समुद्र तटीय कटाव से हुई क्षति की मरम्मत के लिए क्या कार्ययोजना बनाई गई है; और

(घ) सरकार द्वारा महाराष्ट्र के पालघर जिले सहित देश में तटीय कटाव को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है और क्या इसके लिए सुरक्षात्मक अवसंरचना के निर्माण की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (ख): तटीय कटाव भारतीय तटरेखा के साथ समुद्र के स्तर में वृद्धि के प्रभावों में से एक है। राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र (एनसीसीआर), जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) का एक संबद्ध कार्यालय है, ने वर्ष 1990-2018 की अवधि के लिए क्षेत्र-सर्वेक्षण डेटा के साथ-साथ मल्टी-स्पेक्ट्रल उपग्रह छवियों का उपयोग करके पूरे भारतीय तटरेखा के लिए तटरेखा परिवर्तनों की निगरानी की है। एनसीसीआर के अध्ययन के अनुसार, यह देखा गया है कि भारतीय तटरेखा के 33.6% हिस्से में कटाव हो रहा है, 26.8% में अभिवृद्धि हो रही है (बढ़ रहा है) और 39.6% हिस्सा स्थिर अवस्था में है।

तटरेखा में परिवर्तन का राज्यवार विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	**राज्य**		तट की लंबाई (किमी में)	तट की लंबाई (किमी में)					
				कटाव		स्थिर		अभिवृद्धि	
				किमी	**%**	**किमी**	**%**	**किमी**	**%**
1	पश्चिमी तट	गुजरात	1945.6	537.5	28	1030.9	53	377.2	19
2		दमन और दीव	31.83	11.02	35	17.09	53.7	3.72	11.7
3		महाराष्ट्र	739.57	188.26	25.5	477.69	64.6	73.62	10
4		गोवा	139.64	26.82	19.2	93.72	67.1	19.1	13.7
5		कर्नाटक	313.02	74.34	23.7	156.78	50.1	81.9	26.2
6		केरल	592.96	275.33	46.4	182.64	30.8	134.99	22.8
7	पूर्वी तट	तमिलनाडु	991.47	422.94	42.7	332.69	33.6	235.85	23.8
8		पुदुचेरी	41.66	23.42	56.2	13.82	33.2	4.42	10.6
9		आंध्र प्रदेश	1027.58	294.89	28.7	223.36	21.7	509.33	49.6
10		ओडिशा	549.5	140.72	25.6	128.77	23.4	280.02	51
11		पश्चिम बंगाल	534.35	323.07	60.5	76.4	14.3	134.88	25.2
कुल			**6907.18**	**2318.31**		**2733.86**		**1855.03**	
				33.6%		**39.6%**		**26.8%**	

(ग) और (घ):

भारत सरकार ने तटीय कटाव को कम करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं, जिनमें शामिल हैं:

(i) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) ने तटीय क्षेत्रों और समुद्री क्षेत्रों के विशिष्ट पर्यावरण के संरक्षण और सुरक्षा के अलावा तटीय क्षेत्रों में मछुआरा समुदायों और अन्य स्थानीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा तथा प्राकृतिक आपदाओं, ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र के स्तर में वृद्धि के खतरों को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर सतत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सीआरजेड अधिसूचनाएं जारी की हैं।

(ii) सीआरजेड अधिसूचना, 2019 के अनुसार, सीआरजेड क्षेत्रों में कटाव को नियंत्रित करने के उपाय अनुमेय गतिविधि हैं। मंत्रालय ने तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सीजेडएमपी में तटरेखा प्रबंधन योजना को शामिल करने के निदेश जारी किए हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का एक अधीनस्थ संगठन, राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र (एनसीएससीएम) और एनसीसीआर संवेदनशील हिस्सों में तटीय सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन के लिए तटीय राज्यों को तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है और तटरेखा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी में भी शामिल है। इसके अलावा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश के पूरे तट के लिए संकट रेखा को चित्रित किया है। संकट रेखा का उपयोग तटीय राज्यों में एजेंसियों द्वारा आपदा प्रबंधन के लिए एक उपकरण के रूप में किया जाना है जिसमें

अनुकूली और उपशमन उपायों की योजना बनाना शामिल है। तटीय राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के सीजेडएमपी में दर्शाई गई संकट रेखा को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

(iii) तटीय संरक्षण परियोजनाओं की आयोजना और क्रियान्वयन संबंधित समुद्री राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार की भूमिका काफी हद तक सलाहकार, तकनीकी सहायता और उत्प्रेरक प्रकृति की है। इन परियोजनाओं को आम तौर पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपने स्वयं के कोष से या बहुपक्षीय वित्त पोषण से या केंद्रीय सहायता के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। कुछ मामलों में, भारत सरकार ने तटीय कटाव से निपटने में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बहुपक्षीय वित्त पोषण की सुविधा प्रदान की है। पिछले 10 वर्षों में 227.965 किलोमीटर की तटरेखा लंबाई में तटीय कटाव के संरक्षण के लिए 10 समुद्री राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया गया कुल व्यय 2641.39 करोड़ रुपये है और अगले 5 वर्षों में 298.714 किलोमीटर की तटरेखा लंबाई के लिए 10 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रस्तावित या चल रहे संरक्षण कार्य की कुल परियोजना लागत 7218.63 करोड़ रुपये है।

(iv) महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड (एमएमबी) महाराष्ट्र में तटीय प्रबंधन के कार्यों से जुड़ी मुख्य एजेंसी है। तटीय सुरक्षा संरचनाओं की आयोजना और कार्यान्वयन एमएमबी द्वारा या तो राज्य के कोष से या बहुपक्षीय वित्त पोषण के माध्यम से किया जाता है। महाराष्ट्र राज्य द्वारा तटीय क्षेत्रों में कटाव नियंत्रण के उपाय अपनी प्राथमिकता के अनुसार तैयार और कार्यान्वित किए जाते हैं। महाराष्ट्र सतत तटीय संरक्षण और प्रबंधन निवेश कार्यक्रम (एससीपी और एमआईपी) के तहत आने वाले राज्यों में से एक था जिसने एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से वित्तीय सहायता के साथ योजनाओं को लागू किया है। एससीपी और एमआईपी का उद्देश्य पर्यावरणीय और सामाजिक रूप से उपयुक्त समाधानों का उपयोग करके तटीय संरक्षण की तत्काल जरूरतों को पूरा करना है, जो कृत्रिम भित्तियों, समुद्र तट पोषण और टीले के प्रबंधन जैसे अपेक्षाकृत आसान विकल्पों पर ध्यान केंद्रित करता है। महाराष्ट्र में इन कार्यनीतियों से न केवल तटरेखा की कटाव से सुरक्षा होती है बल्कि तटीय समुदायों के लिए आय सृजन के अवसरों में भी वृद्धि होती है।

(v) केंद्रीय जल आयोग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र सरकार ने पिछले 10 वर्षों में 54.21 करोड़ रुपये की परियोजना लागत से पालघर में 15 स्थलों पर कुल 4.792 किलोमीटर लंबी तटीय रेखा के लिए तटीय संरक्षण कार्य किया है, जिसमें 36.58 करोड़ रुपये की अनुमानित परियोजना लागत से पालघर में 2.393 किलोमीटर लंबी तटीय रेखा के लिए 12 स्थलों पर संरक्षण कार्य शामिल है।

*****